



# BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 13 जनवरी, 2025

थाना गुलावठी

## हत्या की घटना में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 11/12.01.2025 की रात्रि में अतुल कुमार पुत्र दिलावर सिंह निवासी ग्राम खुशहालपुर थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना गुलावठी पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 11.01.2025 को उसके पिता दिलावर सिंह दिन से ही 1. राहुल उर्फ कलुवा पुत्र जगवीर सिंह निवासी ग्राम खुशहालपुर थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर, 2. उधम सिंह पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम जटापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर के साथ थे जब रात तक वापस नहीं आये तो उनकी तलाश की गयी तथा उनका शव नानक के सरसो के खेत जंगल ग्राम खुशहालपुर में मिला है। उक्त घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गुलावठी पर मुअसं- 26/25 धारा 103(1) बीएनएस बनाम राहुल उर्फ कलुवा व उधम सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

उक्त घटना के क्रम में आज दिनांक 13.01.2025 को थाना गुलावठी पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त उधम सिंह व राहुल उर्फ कलुवा को नशीली गोलिया, घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन व नगद रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशादेही पर आलाकत्ल ईट को भी जंगल ग्राम खुशहालपुर से बरामद किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में थाना गुलावठी पर पंजीकृत मुअसं- 26/25 धारा 103(1) में धारा 309(6) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा मुअसं- 27/25 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- उधम सिंह पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम जटापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
- 2- राहुल उर्फ कलुवा पुत्र जगवीर सिंह निवासी ग्राम खुशहालपुर थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

### बरामदगी-

1. 01 ईट (आलाकत्ल)
2. 01 मोबाइल फोन (घटना में प्रयुक्त)
3. 2,100/- रुपये नगद
4. 26 पत्ते नशीली गोलिया (कुल 260 नशीली गोलियां)

गिरफ्तार अभियुक्तों ने दिनांक 11.01.2025 को मृतक दिलावर सिंह की जेब में रुपये देख लिये थे जिससे उन्हें लालच आ गया तथा योजनानुसार जंगल ग्राम खुशहालपुर में नानक के सरसो के खेत में दिलावर सिंह को बुलाकर ईट से वार कर उसकी हत्या कर जेब से 3,500 रुपये निकाल कर फरार हो गये।

### गिरफ्तार अभियुक्त उधम सिंह का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 269/03 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 229/06 धारा 326/504 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- निल/07 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411 भादवि थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
4. मुअसं- 13/07 धारा 379/411 भादवि थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
5. मुअसं- 14/07 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
6. मुअसं- 658/07 धारा 295ए/307/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं- 46/08 धारा 60 आबकारी अधि० थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं- 486/08 धारा 295ए/323/504/506 भादवि व 3(1)एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं- 491/08 धारा 3/25 शस्त्रअधि० थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
10. मुअसं- 642/12 धारा 364/302 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
11. मुअसं- 525/13 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
12. मुअसं- 565/15 धारा 25 शस्त्र अधि० थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
13. मुअसं- 582/13 धारा 336/504 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
14. मुअसं- 905/17 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
15. मुअसं- 88/19 धारा 279/304ए/338 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

16. मुअसं- 851/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
17. मुअसं- 26/25 धारा 103(1)/309(6) बीएनएस थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
18. मुअसं- 27/25 धारा 21/22 एनडीरपीएस एक्ट थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

#### गिरफ्तार अभियुक्त राहुल उर्फ कलुवा का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 478/23 धारा 279/304ए/338 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 26/25 धारा 103(1)/309(6) बीएनएस थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

#### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्रीमती सुनीता मलिक थाना प्रभारी थाना गुलावठी
2. निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार सक्सेना
3. उ०नि० राहुल कुमार, उ०नि०यू०टी० अखिल मिश्रा
4. है०का० विजय कुमार, है०का० शेखर, का० राकेश कुमार



मीडिया सेल बुलंदशहर